

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला- गरियाबंद (छ.ग.)

दिनांक 23/03/2017

शासन द्वारा शराब बिक्री हेतु दुकानों को भाड़े पर लिए जाने बाबत लघु निविदा सूचना

(द्वितीय आमंत्रण)

आम जनता को सूचित किया जाता है कि गरियाबंद जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को वर्ष 2017-18 से छ.ग. राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम "छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड" द्वारा संचालित किया जाना है। इस हेतु गरियाबंद जिले के देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान छुरा के संचालन हेतु दुकान/भवन की आवश्यकता है। इस हेतु इस कार्यालय के के पत्र क्रमांक/आब./ठेका/2017/476 गरियाबंद दिनांक 04.03.2017 द्वारा लघु निविदा सूचना प्रकाशित की गई है। उक्त निविदा के नियम एवं शर्तों की जानकारी <http://gariaband.gov.in> की वेब साइट में एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला गरियाबंद में देखी जा सकती है। इच्छुक दुकान/भवन स्वामी दिनांक 27.03.2017 के समय सायं 4:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी गरियाबंद में अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त निविदा की तकनीकी बोली दिनांक 27.03.2017 के सायं 5:00 बजे खोली जावेगी।


कलेक्टर

जिला- गरियाबंद (छ.ग.)

गरियाबंद दिनांक 23/03/2017

पृ.क्रमांक/आब./ठेका/2017/686

प्रतिलिपि:-

संचालक जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ ब्लॉक-ए-भूल-तल इन्द्रावती भवन कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर जिला स्तर के चार प्रमुख समाचार पत्रों में उक्त निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत प्रेषित।


कलेक्टर

जिला- गरियाबंद (छ.ग.)